राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2781/2025

विजेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्तालय, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.05.2025
आदेश की दिनांक : 03.06.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरीया, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में जमादार (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर कार्यालय भू–प्रबन्धक अधिकारी अलवर में (चतुर्थ श्रेणी) कार्यरत हैं। राजस्थान सेवा नियमानुसार कक्षा–12वीं पास अभ्यर्थी पदोन्नति पर कनिष्ठ सहायक बनते है। उसके कम योग्यता पर जमादार बनते है। यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जमादार पद पर पदोन्नति होने के बाद कक्षा–12वीं जो पदोन्नति के लिए कनिष्ठ सहायक के पद की न्यूनतम योग्यता है। वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर पदोन्नति के हकदार है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.05.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (श्री रामदयाल शर्मा) को जमादार के पद पर पदोन्नत किया गया था। तत्पश्चात श्री रामदयाल शर्मा जमादार ने 12वीं पास करने पर प्रत्यर्थी के आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा जमादार पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की योग्यता की वरिष्ठता को अनदेखी कर पदोन्नति से वंचित रखा। उनका आगे कथन है कि विभागीय पदोन्नति समिती की बैठक दिनांक 16.10.2024 को आयोजित की गई। जिसमें अपीलार्थी की योग्यता अभिवृद्धि (कक्षा–12वीं उर्त्तीण जो कि DPC बैठक से पूर्व ही सेवा रिकोर्ड में अंकित की जा चुकी थी) की अनदेखी कर अपीलार्थी को जमादार से कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति से वंचित रखा है। जबकि न्युनतम योग्यता रखता है। पूर्व आदेश (भू–प्रबन्धक आयुक्त आदेश दिनांक 06.10.2023) की निरन्तरता भी कायम नही की गई है। जिसमें कनिष्ठ सहायक की अर्हता पर जमादार को

वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ सहायक पदोन्नत किया जा चुका है। अपीलार्थी ने दिनांक 23.10.2024 (अनुलग्नक–9 व 10) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दिये जाने का निवेदन किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को उसकी योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर उस तिथि से पदोन्नत किया जावे, जिस तिथि को अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को सभी पारिणामिक लाभ सहित पदोन्नत किया गये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य